



DAU SHRI VASUDEV CHANDRAKAR KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA,
ANJORA, DURG (C.G.)

ADMISSION NOTICE

No. DI/PG/Admn./DSVCKV/2023-24/ 920

Dated: 24.07.2023

Online applications in the prescribed format are invited for admission in M.Tech./M.Sc. (Dairy) and M.F.Sc. (Fishery) programmes of the Vishwavidyalaya for the session 2023-24 as detailed below.

A. FACULTY OF DAIRY TECHNOLOGY

M.Tech./M.Sc. Programme in the following disciplines:-

M.Tech.(Dairy Engineering), M.Tech.(Dairy Technology), M.Tech./M.Sc. (Dairy Chemistry), M.Tech./M.Sc.(Dairy Microbiology).

B. FACULTY OF FISHERY

M.F.Sc. Programme in the following disciplines:-

Aquaculture, Fisheries Resource Management, Aquatic Environment Management, Fish Processing Technology, Fisheries Extension (Note: M.F.Sc. programme is not accredited by ICAR)

Candidate must have acquired minimum admission requirement by the last date of submission of application (21.08.2023).

The admissions will be done through **Common Entrance Test (CET)**. The minimum eligibility of marks in CET (inclusive of academic performance in UG and class 12th) for admission is 50% for M.Tech./M.Sc. & M.F.Sc. programme. The merit list shall be prepared and admission shall be given on the basis of CET merit of qualified candidates.

The Prescribed application forms can be filled online from website/link of the Vishwavidyalaya www.cgkv.ac.in/ <https://cgkvmis.cg.nic.in> on or before **21.08.2023** up to 11.59 PM.

Candidates who are in employment in state Govt./Central Govt./Private service must submit their online application and also hard copy through proper channel. NOC should be produced at the time of counseling failing which admission will not be allowed.

Applicants seeking admission to M.Tech/M.Sc (Dairy)/M.F.Sc. must pay **application fee of Rs. 150/- (Rs. 40/- in case of SC and ST candidates of C.G. State) online through the payment gateway available along with the application module in the link "https://cgkvmis.cg.nic.in". The SC/ST candidates of CG state should upload jpeg file of the caste certificate issued by the competent Authority.**

DETAILED SCHEDULE OF ADMISSION PROCESS**M.Tech./ M.Sc. (Dairy) & M.F.Sc.**

S.No.	Events	Date and Place								
1.	Online Registration Starts	31.07.2023 (https://cgkvmis.cg.nic.in)								
2.	Last Date for Online Registration	21.08.2023 (11.59 P.M.)								
3.	Application Fee (to be paid online through the payment gateway available along with the application module in the link https://cgkvmis.cg.nic.in)	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Programme</th><th colspan="2">Fees (in Rs.)</th></tr><tr><th>General/OBC</th><th>ST/SC (of C.G. State only)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Master's Degree (M.Tech./M.Sc. and M.F.Sc.)</td><td>150/-</td><td>40/-</td></tr></tbody></table>	Programme	Fees (in Rs.)		General/OBC	ST/SC (of C.G. State only)	Master's Degree (M.Tech./M.Sc. and M.F.Sc.)	150/-	40/-
		Programme		Fees (in Rs.)						
General/OBC	ST/SC (of C.G. State only)									
Master's Degree (M.Tech./M.Sc. and M.F.Sc.)	150/-	40/-								
4.	Online Display of Tentative list of Eligible Candidates through v.v. website (www.cgkv.ac.in)	24.08.2023								
5.	Link Available for any Corrections	25.08.2023 to 27.08.2023(11.59 P.M.)								
6.	Final List of Eligible Candidates	28.08.2023								
7.	Date & Time of CET	04.09.2023 at 11.00 A.M. Venue:- College of Vety. Science & A.H., Anjora,Durg(C.G.)								
8.	Declaration of CET Results	06.09.2023								
9.	Date & Time of Counseling	11.09.2023 at 11.00 A.M. at Venue:- College of Vety. Science & A.H., Anjora,Durg (C.G.)								
10.	Date of Registration and deposition of fees	12.09.2023 (10.00 am to 5.00 pm in Respective Colleges)								

Candidates must check the Vishwavidyalaya website regularly for any update/change in PG admission process.

Dr. Anand
REGISTRAR

**DAU SHRI VASUDEV CHANDRAKAR KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA
ANJORA, DURG (C.G.)**

No. DI/PG/Admn./DSVCKV/2023-24/ 920

Dated: 24.07.2023

DETAILED ADMISSION NOTICE

Online applications in the prescribed format are invited for admission in M.Tech./M.Sc. (Dairy) and M.F.Sc. programmes of the Vishwavidyalaya for the session 2023-24 as detailed below.

FACULTY OF DAIRY SCIENCE

1. M.Tech.(Dairy Engineering)

Minimum Admission Requirement

B.Tech. (DT), B.Sc. Dairying, B.Sc. Dairying (DT), B.Tech. (Food Science), B.E./B.Tech.(Mechanical/Electrical/Chemical/Agri. Engg.) under 10+2+4 system (Minimum), AMIE from a recognized University/ College/ Institute with an OGPA of not less than 6.00 out of 10.00 point or 60% in marks system of examination or its equivalent in aggregate as well as in the subject in which admission is sought.

2. M.Tech.(Dairy Technology)

Minimum Admission Requirement

B.Tech. (DT), B.Sc. Dairying, B.Sc. Dairying (DT), B.Tech. (Food Technology), B.A.Sc. (Food Technology/Food Science), B.Tech. (Food Science) and B.Sc. (PCM) with IDD (DT) + 5 years experience in relevant field from a recognized University/ College/ Institute with an OGPA of not less than 6.00 out of 10.00 point or 60% in marks system of examination or its equivalent in aggregate as well as in the subject in which admission is sought.

3. M.Tech. (Dairy Chemistry)/M.Sc. Dairying (Dairy Chemistry)

Minimum Admission Requirement

B.Tech.(DT),B.Sc. Dairying, B.Sc. Dairying (DT/DH), B.Sc. (Dairy Technology), B.Sc. (Agriculture), under 10+2+4 system (Minimum) and B.V.Sc. & A.H. degree from a recognized University and good academic record with 6.00 OGPA out of 10.00 point scale or 60% in marks system of examination or equivalent grade.

4. M.Tech./M.Sc. (Dairy Microbiology)

Minimum Admission Requirement

B.Tech. (DT), B.Sc. Dairying (DT), B.Sc. Dairying, B.Sc. (DT/DH), B.Tech. (Food Science / Food Technology), B.Sc. (Microbiology Hons.),B.Sc. (Microbiology), under 10+2+4 system (Minimum) and B.V.Sc. & A.H. degree from a recognized University and good academic record with 6.00 OGPA out of 10.00 point scale or 60% in marks system of examination or equivalent grade.

Distribution of seats in M.Tech./M.Sc. (Dairy) is as follows:

S.No.	Subjects	No. of seats
1	Dairy Engineering (M.Tech.)	04
2	Dairy Technology (M.Tech.)	04
3	Dairy Chemistry (M.Tech.)	04
4	Dairy Microbiology (M.Tech.)	04
	TOTAL	16



Degree in Dairy Chemistry and Dairy Microbiology disciplines to be awarded as M.Tech. (Dairy Chemistry) and M.Tech. (Dairy microbiology) for the students who are coming from the B.Tech. stream. For the students coming from basic science stream and B.Sc. programme, the degree will be awarded as M.Sc. (Dairy Chemistry) and M.Sc. (Dairy Microbiology)

FACULTY OF FISHERY SCIENCE

Minimum Admission Requirement for M.F.Sc.

Bachelor's degree in Fisheries Science (B.F.Sc.) under the 10+2+4 system with good academic record of not less than 6.00 OGPA out of 10 point scale or 60% in marks system or its equivalent.

Distribution of seats is as follows:

S.No.	Subject	Number of Seats
1.	Aquaculture	02
2.	Fisheries Resource Management	02
3.	Aquatic Environment Management	02
4.	Fish Processing Technology	02
5.	Fisheries Extension	02
Total		10

Candidate must have acquired minimum admission requirement by the last date of submission of application i.e. 21.08.2023

The admissions will be done through **Common Entrance Test (CET)**. The minimum eligibility of marks in CET (inclusive of academic performance in UG and class 12th) for admission is 50% for M.Tech./M.Sc. & M.F.Sc.. The merit list shall be prepared and admission shall be given on the basis of CET merit of qualified candidates. The CET merit shall be prepared by adding the marks obtained in CET (out of 70) and 30 marks obtained in academic record (12th and U.G.).

*छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13-3/2023/ आ प्र./1-3, नवा रायपुर, दिनांक 09/05/2023 के निर्देशानुसार शैक्षणिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन में आरक्षण प्रावधान का उल्लेख किये बिना ही परीक्षाएं आयोजित की जानी है। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुरूप आरक्षण दिया जाएगा।

Candidates who are in employment in state Govt./Central Govt./Private service must fill their application online and also through proper channel in hard copy. NOC should be produced at the time of counseling failing which admission will not be allowed.

The CET will be held on **04.09.2023** at 11.00 am at College of Vety. Sci. & A.H., Anjora, Durg (C.G.). The counseling will be held on **11.09.2023** at 11:00 am at College of Vety. Sci. & A.H., Anjora, Durg (C.G.). **The counseling fee shall be charged in Cash at the following rates at the time of counseling.**

Programme	Fees (in Rs.)	
	General/OBC	ST/SC(of C.G. state)
Master's Degree (M.Tech./M.Sc. and M.F.Sc.)	500/-	300/-

 

The Prescribed application forms can be filled online through website of the Vishwavidyalaya www.cgkv.ac.in/ <https://cgkvmis.cg.nic.in> on or before **21.08.2023** up to 11:59 pm. Applicants seeking admission to M.Tech/M.Sc (Dairy) /M.F.Sc must pay application fee of **Rs. 150/- (Rs. 40/- in case of SC and ST candidates of C.G. State) online through the payment gateway available along with the application module in the link "https://cgkvmis.cg.nic.in"**. The SC/ST candidates of CG state should upload jpeg file of the caste certificate issued by the competent Authority.

DETAILS OF ADMISSION PROCESS

S.No.	Events	Date and Place		
1.	Online Registration Starts	31.07.2023 (https://cgkvmis.cg.nic.in)		
2.	Last Date for Online Registration	21.08.2023 (11.59 P.M.)		
3.	Application Fee (to be paid online through the payment gateway available along with the application module in the link https://cgkvmis.cg.nic.in)	Programme	Fees (in Rs.)	
			General/OBC	ST/SC (of C.G. State only)
		Master's Degree (M.Tech./M.Sc. and M.F.Sc.)	150/-	40/-
4.	Online Display of Tentative list of Eligible Candidates through v.v. website (www.cgkv.ac.in)	24.08.2023		
5.	Link Available for any Corrections	25.08.2023 to 27.08.2023(11.59 P.M.)		
6.	Final List of Eligible Candidates	28.08.2023		
7.	Date & Time of CET	04.09.2023 at 11.00 A.M. Venue:- College of Vety. Science & A.H., Anjora,Durg(C.G.)		
8.	Declaration of CET Results	06.09.2023		
9.	Date & Time of Counseling	11.09.2023 at 11.00 A.M. at Venue:- College of Vety. Science & A.H., Anjora,Durg (C.G.)		
10.	Date of Registration and deposition of fees	12.09.2023 (10.00 am to 5.00 pm in Respective Colleges)		

The list of eligible candidates for appearing in CET will be available in website of the Vishwavidyalaya www.cgkv.ac.in and candidates must check the Vishwavidyalaya website regularly for any updates/changes in the P.G Admission process.

All eligible candidates will collect the admit card two hours before the CET from Directorate of Instructions office located at DSVCKV, Anjora, Durg(C.G.) No separate intimation will be given. The question papers for M.Tech./M.Sc (Dairy) /M.F.Sc. will be of UG standard. The questions will be multiple choice objective types.

The list of eligible candidates for appearing in the counseling will be available in website of the Vishwavidyalaya www.cgkv.ac.in on 06.09.2023.



The admission of students for P.G. programme shall be decided on the basis of an index merit list to be prepared by giving 70% weightage to the marks obtained by students in CET, 20% weightage to 1st class and 10% to 2nd class obtained at undergraduate level, 10% weightage to 1st class and 5% to 2nd class obtained at HSSC (10+2) level. This list will be finally arranged in decreasing order of merit category wise.

Incomplete applications will not be considered.

- **No. separate call letter for CET and counseling will be issued.**
- **No TA/DA or remuneration of any kind will be paid to the candidates for appearing in CET and attending the counseling.**

Relaxation in qualifying marks

For the reservation category (SC/ST), 5% relaxation will be given in qualifying marks of CET (inclusive of academic performance in UG and class 12th).

Selected students must report in person to the Dean of the College on the date of admission prescribed by the Vishwavidyalaya/Dean of the College for payment of fee and for the purpose of registration of courses. The new entrants selected for admission to Master degree courses of the Vishwavidyalaya shall become enrolled students only on completion of all the formalities prescribed by the Vishwavidyalaya from time to time.

Late payment of fee and registration shall be permitted by the Dean of the College up to 03 working days only following the date of registration beyond which there shall be no registration and his/her admission shall automatically stand cancelled.

At the end of admission process of Post Graduate programme, if some seats are still left vacant, change of subjects can be permitted through counseling of desirous students immediately after the last date of registration (within 02 working days).

After the change of subjects, vacant seat(s), if any, will be filled up from the merit list on third working day of completion of registration including late payment fees (06 working days) (i.e. on 6th working of the scheduled day of registration).

1. विद्यार्थियों का प्रवेश प्रावीण्य सूची के आधार पर होगा । प्रावीण्य सूची के कुल अंक (100%) का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

(अ) सी.ई.टी. परीक्षा	—	70 प्रतिशत
(ब) स्नातक स्तर		
प्रथम श्रेणी	—	20 प्रतिशत
द्वितीय श्रेणी	—	10 प्रतिशत
(स) 10+2 स्तर		
प्रथम श्रेणी	—	10 प्रतिशत
द्वितीय श्रेणी	—	5 प्रतिशत

प्रावीण्य सूची को कुल प्राप्तांक के घटते क्रम में श्रेणीवार तैयार किया जावेगा ।

2. न्यूनतम अंक सीमा : प्रवेश हेतु सी.ई.टी. (स्नातक एवं बारहवीं के शैक्षणिक योग्यता को जोड़कर) में न्यूनतम अंक सीमा 50 प्रतिशत है ।

3. सी.ई.टी. द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जानें के पश्चात् यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो उस पर प्रवेश का अधिकार विश्वविद्यालय सुरक्षित रखेगी ।

4. सीटों का आरक्षण :-

(अ) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13-3/2023/ आ प्र./1-3, नवा रायपुर, दिनांक 09/05/2023 के निर्देशानुसार शैक्षणिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन में आरक्षण प्रावधान का उल्लेख किये बिना ही परीक्षाएं आयोजित की जानी है। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुरूप आरक्षण दिया जाएगा ।

(ब) ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं / अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर अथवा उसके शाखा अंबिकापुर/जगदलपुर से कराया जाना अनिवार्य है ।

यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश अधिसूचना जारी होने के उपरांत 06 माह का समय दिया जावेगा ।

अभ्यर्थियों द्वारा उक्त समयावधि के अंदर सत्यापित जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करने असफल होने की स्थिति में अभ्यर्थियों का वर्ष 2023-24 का पंजीकरण नियमानुसार निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा ।

(स) आवेदक को केवल एक श्रेणी में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

(द) विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

ऐसे उम्मीदवार जो विकलांग हो उनके लिये संस्थाओं की प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीटों का आरक्षण शासन के नियमानुसार होगा ।

 7

इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश के दावा करने वाले उम्मीदवार को जिला चिकित्सा मण्डल तथा अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय उम्मीदवारों को प्रवेश :

छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा, यदि वे प्रवेश के लिये निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं और शासन उनके प्रवेश हेतु विभागीय उम्मीदवार के रूप में अनुशंसा करती है।

6. रिक्त सीटों पर प्रवेश :

आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा :-

“अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।”

7. जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप अथवा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. उम्मीदवार द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित श्रेणी, जिसमें उसको द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

9. शारीरिक योग्यता :

(अ) आयु सीमा: प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि स्नातकोत्तर प्रत्याशियों की न्यूनतम आयु दिनांक 31.12.2023 को 21 वर्ष से कम न हो।

(ब) स्वास्थ्य अर्हता: चयनित परीक्षार्थियों को प्रवेश के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न्यूनतम सहायक शल्य चिकित्सक/सहायक भेषज स्तर के चिकित्सा अधिकारी का मान्य होगा।

10. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि :

प्रवेश के लिये प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय द्वारा विन्दु क्रमांक 1 के आधार पर श्रेणीवार प्रावीण्य सूचियाँ इन पाठ्यक्रमों में

प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जावेगी तथा इन प्रावीण्य सूचियों की प्रति विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध होगी ।

- आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा । व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जावेगा ।
- आरक्षित श्रेणी के जिन प्रत्याशियों को सामान्य श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में सत्यापित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

11. सी.ई.टी. में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :

समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जावेगी । इस हेतु सी.ई.टी. में पाठ्यक्रमों के लिये निम्नलिखित क्रम से उनके प्राप्तांकों को आधार मानकर निश्चित की जायेगी ।

- (अ) सी.ई.टी.मे प्राप्तांक ।
- (ब) स्नातक डिग्री में अधिक प्राप्तांक वाले प्रत्याशी को वरीयता दी जावेगी ।
- (स) उक्त में भी समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों में प्राथमिकता अधिक उम्र वाले प्रत्याशी को दी जावेगी ।
- (द) यदि उपरोक्त के अनुसार उम्र में भी समान होगी तब 12वीं के कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ।

12. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण :

महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जावेंगे । निर्धारित तिथि के उपरांत स्थान रिक्त रहने पर उन्हें नियमानुसार भरने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा ।

13. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण :

विश्वविद्यालय द्वारा जारी सी.ई.टी.मेरिट सूचियों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर काउंसिलिंग के माध्यम से आवेदकों को अस्थाई प्रवेश प्रदान किया जावेगा । प्रवेश के लिये आवेदक को पाठ्यक्रम में संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता / अर्हता शर्तों को पूरा करना होगा । आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र , काउंसिलिंग के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे । (आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति —10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की अंकसूची, डिग्री सर्टिफिकेट,

 

छत्तीसगढ के मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं सत्यापित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा) ।

छत्तीसगढ मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये ।

अभिभावक

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वारसविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

दत्तक पुत्र / पुत्री

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक / बी.एस.सी.भाग -1 अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम भी केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा की ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी कमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा किन्ही अनुसूचितजाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

14. प्रवेश निरस्तीकरण :

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी / गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश

प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अत्रि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा ।

प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय सर्वोच्च निर्णायक होगा । यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण / व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निर्णय हेतु दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय को भेजा जाना चाहिये । प्रवेश नियमों में किराी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय को होगा ।

NI Inver
कुलसचिव
दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु
विश्वविद्यालय